

भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु वांछित दस्तावेजों की चेक लिस्ट:-

क्रं. सं.	विषय	संलग्न/ लागू नहीं
1.	प्रार्थना पत्र में भूखण्ड संख्या, योजना का नाम, प्रस्तावित भूखण्ड एवं भवन का प्रयोजन तथा डाक का पूरा पता ।	
2.	आवेदक द्वारा स्वामित्व का शपथ-पत्र ।	
3.	निर्धारित जाँच शुल्क (चालान की प्रति) प्रस्तावित भवन के प्रयोजनानुसार ।	
4.	स्थानीय निकाय/नगर विकास न्यास/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी लीज डीड एवं साईट प्लान की प्रति ।	
5.	भूखण्ड के पहुंच मार्ग के साथ अन्य समस्त दिशाओं के विद्यमान भूमि/भूखण्ड के फोटोग्राफ ।	
6.	प्रस्तावित भवन के समस्त मानचित्रों की भवन विनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार तयशुदा माप पर तीन प्रतियाँ/(साईट प्लान-1:500 स्केल एवं अन्य 1:100 या 1:200 स्केल पर)	
7.	प्रस्तावित भवन के मानचित्रों एवं क्षेत्रफल से गणना की सॉफ्ट कापी ।	
8.	पार्किंग प्लान गणना सहित । (1:500 स्केल पर)	
9.	वर्षा जल संग्रहण प्लान । (1:500 स्केल पर)	
10.	यदि प्रस्तावित भवन में तहखाना पडोसी के भूखण्ड की सीमा के 2 मीटर की दूरी से कम पर बनाया जाता है तो आवेदक द्वारा संबंधित निकाय के हित में इन्डेमिनिटी बॉण्ड ।	
11.	आर्किटेक्ट/तकनीकीविज्ञ द्वारा शपथ-पत्र ।	
12.	आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंध-पत्र ।	
13.	आवेदक का सोलर पैनल/वर्षा जल संग्रहण/विकलांगों/ विद्युत एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड एवं इनके क्रम में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों एवं परिपत्रों की पालनार्थ शपथ-पत्र ।	
14.	अग्निशमन एवं अन्य आपदाओं के प्रावधानों की सुनिश्चितता के क्रम में शपथ-पत्र ।	
15.	प्रस्तावित भूमि/भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का मंदिर/मस्जिद/एच.टी. लाइन/स्थायी/अस्थायी निर्माण है अथवा नहीं हेतु शपथ-पत्र ।	
16.	आवेदक एवं आर्किटेक्ट द्वारा भूकम्परोधी तकनीकी के सम्बन्ध में शपथ-पत्र ।	
17.	यदि निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर से अधिक है, तो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।	
18.	हवाई अड्डा फनल (Air Funnal)के संदर्भ में हवाई अड्डे की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी तक अथवा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कलर कोडेड जोनिंग मैप (सी.सी.जेड.एम) के अनुसार प्रस्तावित भवन की अनुज्ञेय ऊंचाई/नागरिक उड्डयन विभाग/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक है तो) ।	
19.	अन्य दस्तावेज यदि आवश्यक हो ।	

स्वामित्व हेतु शपथ-पत्र

मैं/हमआयु.....वर्ष, निवासी
..... शपथपूर्वक बयान करता/ करती हूँ/ करते हैं कि
मेरे/हमारे द्वारा प्राधिकरण/ नगर विकास न्यास/ नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका
..... (शहर का नाम) में भवन निर्माण हेतु सम्बन्धित भूमि का पूर्व विवरण भूखण्ड
संख्या (शहर का नाम) के मानचित्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भूमि पूर्णतया
मेरे/हमारे स्वामित्व की है, न ही मेरे/हमारे द्वारा उक्त भूखण्ड को अथवा उक्त भूखण्ड के किसी
भू-भाग को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को बेचान/उपहार/भेंट/मोर्गेज रखा गया है तथा
प्राधिकरण/निगम/परिषद/ न्यास/आवासन मण्डल/ राज्य सरकार की अवाप्ति में नहीं आती
है और न ही भूमि अवाप्त है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

मैं/हमशपथग्रहिता यह सत्यापित करता/करती
हूँ/ करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव
के स्वेच्छा से रू-ब-रू तहरीर कर दी गई है तथा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है, ईश्वर
मेरी/हमारी रक्षा करे।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

आर्किटेक्ट द्वारा शपथ-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी.....पूरे होश हवास में शपथपूर्वक निम्न तथ्यों का वर्णन करता/करती हूँ :-

1. मैं आर्किटेक्ट अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वास्तुकला परिषद, नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत आर्किटेक्ट हूँ एवं मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम-2020 के अंतर्गत कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर द्वारा पंजीयन नम्बर , वर्ष के लिए पंजीकृत हूँ।
2. भूखण्ड संख्याजो योजना.....के अन्तर्गत है उसके प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र तैयार करने, मानचित्र अनुमोदन करने एवं भवन के पर्यवेक्षण करने का कार्य भूखण्डधारक द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिया गया है।
3. मेरे द्वारा योजना के ले-आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है प्रश्नगत भूखण्ड का भू उपयोग स्वीकृत योजना के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का माप, आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही है।
प्रस्तुत भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है :-
 - i. भूखण्ड का नाप व क्षेत्रफल
 - ii. प्रस्तावित भवन का प्रयोजन
 - iii. भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार (पट्टे के अनुसार)
 - iv. भवन के पैरामीटर साईट प्लान/भवन विनियमों के अनुसार:-

क्र.स.	भवन के पैरामीटर	अनुज्ञेय	प्रस्तावित
1.	सैटबेक (मी.)		
	(अ) सामने		
	(ब) पार्श्व प्रथम		
	(स) पार्श्व द्वितीय		
	(द) पीछे		
2.	आच्छादित क्षेत्र		
3.	भवन की ऊँचाई एवं प्रस्तावित मंजिलों की संख्या		
4.	सकल निर्मित क्षेत्रफल		
5.	बी.ए.आर क्षेत्रफल		
6.	पार्किंग		
	(अ) भू-तल		
	(ब) बेसमेन्ट		
	(स) स्टिल्ट		

v. पलोर एरिया का विवरण :-

- | | | |
|-------------------|-------|-------|
| (अ) बेसमेन्ट | | |
| (ब) स्टिल्ट/भू-तल | | |
| (स) प्रथम मंजिल | | |

(द)	द्वितीय मंजिल
(य)	तृतीय मंजिल
(र)मंजिल
(ल) मंजिल

4. योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका..... (शहर का नाम) की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्डधारी द्वारा नहीं किया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शायी अनुसार उपलब्ध है ।
5. यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता है तो सम्बन्धित विभाग को 48 घंटे में सूचित करूंगा ।
6. भवन मानचित्र मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम-2020 के मानदण्डों एवं लीज डीड की शर्तों के अनुसार तैयार किये गये हैं एवं विनियमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छुपाया गया है। मेरी सेवा एवं देख-रेख में यदि भवन निर्माता भवन निर्माण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण मानचित्रों के अनुरूप ही निर्माण करवाया जावेगा ।
7. प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक सूचनाएं/स्पष्टीकरण इत्यादि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गयी थी। भूखण्ड सड़क की निर्धारित चौड़ाई या अन्य किन्हीं प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं है।
8. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग कोई भी कार्यवाही मेरे विरुद्ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना, अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल होगा एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा सकता है।
9. आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक शपथ-पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति (भवन विनियम प्रावधानों के अनुरूप) व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि को चालान संख्याद्वारा नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भूखण्ड के (आवासीय/कॉमर्शियल/ औद्योगिक/संस्थानिक) प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं।

आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

मैं ऊपर वर्णित आर्किटेक्ट आज दिनांक..... वर्ग को (शहर का नाम) में प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर शपथ-पत्र मे दिये गये तथ्य मेरी जानकारी में सत्य हैं तथा इनमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है।

स्थान :

दिनांक :

आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

आर्किटेक्ट द्वारा भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन पत्र
(नगर नियोजन विभाग द्वारा मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम-2020 के अंतर्गत पंजीकृत वास्तुविद के Letter head पर जारी किया जाना है।)

पत्र क्रमांक:

दिनांक:

श्री ,
पता- ,
..... ।

विषय:- भूखण्ड संख्याजो योजना.....के अन्तर्गत है उसके
प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा भूखण्ड संख्याजो योजना.....के अन्तर्गत है उसकेप्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत योजना के ले-आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है प्रश्नगत भूखण्ड का भू उपयोग स्वीकृत योजना के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का माप, आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही है। प्रस्तुत भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है :-
 - i. भूखण्ड का नाप व क्षेत्रफल
 - ii. प्रस्तावित भवन का प्रयोजन
 - iii. भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार (पट्टे के अनुसार)
 - iv. भवन के पैरामीटर साईट प्लान/भवन विनियमों के अनुसार:-

क्र.स.	भवन के पैरामीटर	अनुज्ञेय	प्रस्तावित
1.	सैटबेक (मी.)		
	(अ) सामने		
	(ब) पार्श्व प्रथम		
	(स) पार्श्व द्वितीय		
	(द) पीछे		
2.	आच्छादित क्षेत्र		
3.	भवन की ऊँचाई एवं प्रस्तावित मंजिलों की संख्या		
4.	सकल निर्मित क्षेत्रफल		
5.	बी.ए.आर क्षेत्रफल		
6.	पार्किंग		
	(अ) भू-तल		
	(ब) बेसमेन्ट		
	(स) स्टिल्ट		

v. फलोर एरिया का विवरण :-

(अ)	बेसमेन्ट
(ब)	स्टिल्ट/भू-तल
(स)	प्रथम मंजिल
(द)	द्वितीय मंजिल
(य)	तृतीय मंजिल
(र)मंजिल
(ल) मंजिल

- योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका..... (शहर का नाम) की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्डधारी द्वारा नहीं किया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शायी अनुसार उपलब्ध है ।
- यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता है तो सम्बन्धित विभाग को 48 घंटे में सूचित करूंगा ।
- भवन मानचित्र मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम-2020 के मानदण्डों एवं लीज डीड की शर्तों के अनुसार तैयार किये गये हैं एवं विनियमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छुपाया गया है। मेरी सेवा एवं देख-रेख में यदि भवन निर्माता भवन निर्माण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण मानचित्रों के अनुरूप ही निर्माण करवाया जावेगा ।
- प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक सूचनाएं/स्पष्टीकरण इत्यादि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गयी थी। भूखण्ड सड़क की निर्धारित चौड़ाई या अन्य किन्हीं प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं है ।
- यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग कोई भी कार्यवाही मेरे विरुद्ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना, अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल होगा एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा सकता है ।
- आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक शपथ-पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति (भवन विनियम प्रावधानों के अनुरूप) व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि को चालान संख्या द्वारा नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भूखण्ड के आवासीय/कॉमर्शियल/ औद्योगिक/संस्थानिक प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं ।

संलग्न : अनुमोदित मानचित्र ।

(संख्या.....)

आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

सचिव/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय..... ।

आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

क्षतिपूर्ति बन्ध शपथ-पत्र

मैं/हम..... आयु.....वर्ष, निवासी.....निम्न क्षतिपूरक लेख करता/करती हूँ/करते हैं :-

1. यह कि भूखण्ड संख्या , (शहर का नाम) में स्थित है जिसका क्षेत्रफल.....वर्गमीटर है का स्वामी/होल्डर हूँ/हैं कि मैं/हम उपरोक्त भूखण्ड पर निर्माण करना चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं।
2. यह कि मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम-2020 के अन्तर्गत उपरोक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका (शहर का नाम) में मेरे/हमारे द्वारा अधिकृत आर्किटेक्ट के द्वारा मानचित्रों के साथ शपथ-पत्र प्रतिलिपि (संलग्न) प्रस्तुत किया गया है।
3. यह कि प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका..... (शहर का नाम) में उपरोक्त शपथ-पत्र के आधार पर भवन निर्माण की स्वीकृति देने पर सहमत हैं।
4. अतः यह लेख पत्र साक्षी है कि उक्त शपथ-पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड संख्या (शहर का नाम) में स्थित है जिसके भवन निर्माण के मानचित्र मेरे/हमारे प्रार्थना-पत्र दिनांक पर मेरे/हमारे द्वारा अधिकृत आर्किटेक्ट के द्वारा प्रस्तुत किए गये थे।

मैं/हम यह प्रतिज्ञा करता /करती हूँ/करते हैं कि उक्त स्वीकृति के कारण यदि प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका..... (शहर का नाम) को किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारी के सक्षम किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च नुकसान मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो मैं/हम उनकी इस क्षति को पूर्ण करूंगा/करुंगी/करेंगे।

मैं यह भी बयान करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम और मेरे/हमारे उत्तराधिकारी इस क्षतिपूरक बन्ध-पत्र की उपरोक्त शर्तों से बाध्य रहेंगे।

दिनांक:

निष्पादक (भूखण्ड धारक)

गवाह :- 1.

2.

शपथ-पत्र500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल एवं 2500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों हेतु

मैं/हम.....आयु.....वर्ष, निवासी.....

.....पूरे होश हवास में शपथपूर्वक निम्न प्रस्तुत करता/करती हूँ/करते हैं : -

1. यह भूखण्ड संख्या(शहर का नाम) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल.....
..... वर्गमीटर है के स्वामी/होल्डर हूँ/हैं।
2. यह कि प्रस्तावित भवन में सौर उर्जा उपकरण एवं वर्षा जल संग्रहण का प्रावधान मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम-2020 के अनुसार करूंगा/करुंगी/करेंगे।
3. यह कि प्रस्तावित भवन में विद्युत एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुसार करूंगा/करुंगी/करेंगे।
4. यह कि प्रस्तावित भवन में विकलांगों के प्रावधान लागू मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम-2020 एवं राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के अनुसार करूंगा/करुंगी/करेंगे।
5. यह कि प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य मेरे द्वारा अधिकृत वास्तुविद द्वारा तैयार कर अनुमोदित मानचित्र के अनुसार करूंगा/करुंगी/करेंगे यदि मौके पर निर्माण अनुमोदित मानचित्रों के विपरीत पाया जाता है तो स्थानीय निकाय अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा जिसका हर्जाना मेरे द्वारा वहन किया जावेगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता (भूखण्डधारक)

मैं/हम..... शपथ ग्रहिता यह सत्यापित करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रू-ब-रू तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करें।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता
(भूखण्डधारक)

शपथ-पत्र

भूमि/भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का मंदिर/मस्जिद/एच.टी.लाइन/स्थायी/अस्थायी निर्माण है अथवा नहीं हेतु

मैं/हमआयु.....वर्ष, निवासी.....
.....पूरे होश हवास में शपथपूर्वक निम्न प्रस्तुत करता/करती हूँ/करते हैं -

1. यह कि प्लॉट नं0.....(शहर का नाम) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल
.....वर्गमीटर है के स्वामी/होल्डर हूँ तथा मेरे/हमारे द्वारा उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
2. प्रस्तावित भूमि/भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का मंदिर/मस्जिद/एच.टी.
लाइन/स्थायी/अस्थायी निर्माण नहीं है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

मैं/हम शपथग्रहिता यह सत्यापित करता/करती हूँ /करते हैं
कि उपरोक्त सूचना मेरे/हमारे निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से
रू-ब-रू तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा
करे।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

शपथ-पत्रअग्निशमन के प्रावधान व आपदा की स्थिति में मौके पर यथोचित निकास की व्यवस्था करने हेतु

मैं/हम आयु..... वर्ष, निवासी.....
पूरे होश हवास में शपथपूर्वक निम्न प्रस्तुत करता/करती हूँ /करते हैं कि –

यह कि प्लॉट नं०.....,(शहर का नाम) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफलवर्गमीटर है के स्वामी/होल्डर हूँ/हैं, जिसके लिए अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका..... (शहर का नाम) द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावेगी तथा भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन के प्रावधान रखे जावेंगे तथा इनको संचालित करने के लिए भवन में हर समय उपलब्ध रहेगा। भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर सुरक्षा के उपकरण संचालित करने के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति (केयर टेकर) की नियुक्ति करूंगा/करुंगी/करेंगे, जिसके पास बिल्डिंग का नक्शा, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहेंगे। इसी प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाइल नं० एवं Land line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त/शहर में नियुक्त उच्चतम पुलिस अधिकारी (सम्बन्धित शहर) व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावेगी ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

मैं/हम शपथग्रहिता यह सत्यापित करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरे/हमारी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करे।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

**CERTIFICATE OF THE UNDERTAKING
FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF NBC PART-IV
FOR EARTHQUAKE SAFETY**

(To be submitted at the time of approval of building plan)

Plot No.
Area of Plot (Sum).....
Scheme / Block.....
Use of Building.....
Proposed height of building

1. Certified the building plans submitted for approval satisfy the safety requirement as stipulated under building regulation no-16.7 and the information given therein is factually correct to the best of our knowledge and understanding.
2. It is also certified that the structural design including safety from earthquake shall be duly incorporated in the design of the building and these provisions shall be adhered to during the construction.

Signature of Owner

Name & address(Owner).....

Signature of Structural engineer.....

Name & Address(Structure Engineer).....

Registration No.....

Signature of Architect

Name & Address(Architect).....

CoA No.....

Registration No.....

Check List for Joint Site Inspection of Multistoried Buildings.

Applicant Name: -----
 Architect Name & Registration no. -----
 Address (Proposed Building): -----

 Area of Proposed Building (Sq.mt) -----
 Details of Building Plan approval -----
 (Building Plan Approval Committee Meeting) -----

Inspection for Completion Certificate:

S.No.	Details	Comments		
		As per approval	Available on Site	
1.	Size of the Plot (Sq.mt)			
2.	Setbacks			
	Front			
	Side I			
	Side II			
	Rear			
3.	Ground Coverage			
4.	Basement (Approved)			
	(i) Ramp (Slope)			
	(ii) Staircase			
	(iii)	Setback		
		Front		
		Side I		
		Side II		
		Rear		
	(iv) Any other observation			
5.	Height (No. of Floors)			
6.	F.A.R.			

7.	Parking		
8.	Cut-Outs/ Open to Sky/ Ducs		
9.	Projections/ Balconies etc. (Covered/ extended)		
10.	Certification for Hire Safety (Final)		
11.	Certificate from Structural Engineer (Earthquake resistant)		
12.	Plantation on site		
13.	Rain Water Harvesting		
14.	Waste Water Harvesting		
15.	Sewarage Treatment Plant		
16.	Provision of Solid Waste Management		
17.	Provision of Solar Panels/ Solar Water Heater		
18.	Provisions for physically challenged persons		
19.	Internal Changes/ Deviation if any		
20.	Any other observation		

Architect :-.....

Reg.No. (Issued by CoA) :-.....

Reg. No. (Issued by CTP,Raj.) :-

Structural engineer.....

Registration No.....

Completion Certificate

I hereby certify that the building constructed on (land details as per approved plan) owned/developed by was personally inspected by me and based on above facts, construction on site is complete in accordance with the approved building plans. Type of the building (Residential/Commercial/Institutional etc.) is also in accordance with the approved plan. Hence the Completion Certificate is issued under my signature on(date)

Architect :-.....

Reg.No. (Issued by CoA) :-.....

Reg. No. (Issued by CTP,Raj.) :-

Occupancy Certificate

(As per Rule no. 17 of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulation, 2020

I do hereby certify that the building (name of building/owner/developer as per approved plans) situated at (details of the land) for which completion certificate was issued by (name and registration no. of Registered Architect) has been inspected by me, the building constructed is as per approved maps & is as per prevailing building.

It is certified that essential facilities are mentioned at Rule no. 17.1 of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulation, 2020 such as connections for Water Supply, Electricity and Sewerage Disposal etc. (in case there is no sewer line then septic tank or STP has been constructed) has been obtained and found functional on site thus the building is complete for occupancy.

Hence the Occupancy Certificate is issued under my signature on (date)

Architect :-.....

Reg.No. (Issued by CoA) :-.....

Reg. No. (Issued by CTP,Raj.) :-

मांग पत्र (Demand Letter)

(मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम-2020 के अंतर्गत पंजीकृत वास्तुविद के Letter head पर जारी किया जाना है।)

श्री / श्रीमति.....

महोदय / महोदया,

मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) विनियम, 2020 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को भवन विनियमों के नियम 19 एवं 20 के तहत पंजीकृत होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपके द्वारा दिनांक को भूखण्ड सं., क्षेत्रफल वर्गमीटर, पता
 .. हेतु प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।
 उक्त प्रस्तावित भवन जिसकी कुल निर्मित क्षेत्रफल वर्गमीटर तथा ऊँचाई मीटर है, के लिए की गयी शुल्क गणना संलग्नक (परिशिष्ट - "अ") के अनुसार (निकाय का नाम) में कुल राशि रुपये का भुगतान कराते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता का जमा पर्ची मय इस बाबत शपथ-पत्र, कि "यदि उक्त भवन/भूखण्ड के संबंध में नगरीय निकाय द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन से पूर्व अथवा पश्चात् भी किसी मद की अद्वैय राशि की मांग की जाती है तो मेरे द्वारा मांग पत्र में निर्धारित समयावधि के दौरान जमा करादिया जावेगा ओर यदि मैं उक्त शपथ की अवहैलना करता हूँ/करती हूँ तो नगरीय निकाय उक्त भवन को सीज करने अथवा ध्वस्त करने हेतु स्वतंत्र होगी," उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।

- पार्किंग/वर्षा जल संचयन/वृक्षारोपण/पर्यावरण अनापत्ति के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम, 2020 के अनुसार शपथ-पत्र/अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करें।
- आप द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं अधिवास प्रमाण के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा, अतः उपरोक्त के संबंध में आप शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अग्निशमन शुल्क की राशि रुपये/— फायर सेस हेतु संबंधित बैंक खाता संख्या, Bank, Branch में जमा करवाकर जमा रसीद की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
- लेबर सेस राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25)नवि/सामान्य/2014 दिनांक 24.06.2020 के अनुसार जमा कराया जाकर रसीद की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

नोट:- भवन विनियम, 2020 की अनुसूची 2 के बिन्दु संख्या 16 के अनुसार मांग पत्र जारी होने के दिवस से 60 दिवस में राशि जमा करनी होगी। 60 दिवस में राशि जमा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जावेगी।

ताकि भवन मानचित्र अनुमोदन/निर्माण जारी की जा सके।

भवदीय,

(नाम मय हस्ताक्षर)

पंजीकृत वास्तुविद

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय।
2. अग्निशमन अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय।
3. क्षेत्रीय श्रम कार्यालय संबंधित नगर।

(नाम मय हस्ताक्षर)

पंजीकृत वास्तुविद

भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत शुल्क की गणना

भूखण्ड की स्थिति (भू-निर्देशांक, भूखण्ड संख्या, स्कीम का नाम/खसरा संख्या मय राजस्व ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र)					
भूखण्ड का क्षेत्रफल					
भूखण्ड पर प्रस्तावित भवन का प्रयोजन					
भवन की प्रस्तावित ऊँचाई					
मानक बी.ए.आर.					
प्रस्तावित बी.ए.आर.					
आवासीय आरक्षित दर					
क्र. सं.	विभिन्न शुल्क मदों का विवरण	शुल्क गणना			
		मापांक की मात्रा (संख्या/क्षेत्रफल)	दर/प्रति इकाई (रुपयों में)	शुल्क गणना (रुपयों में)	विशेष विवरण
1.	प्रार्थना पत्र /आवेदन शुल्क (एक मुश्त निर्धारित)				
2.	मानचित्र जाँच शुल्क (भूखण्ड के क्षेत्रफल पर)				
	अनुमोदन शुल्क i.) आवासीय ii.) व्यवसायिक iii.) संस्थानिक (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)				
3.	i.) शेल्टर फण्ड (BSUP) (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)				
4.	बेटरमेंट लेवी (मानक बी.ए.आर. से अधिक प्रस्तावित बी. ए.आर. पर)				
5.	पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र शुल्क (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)				
6.	व्यवसायिक उपयोग शुल्क				
7.	मलबा धरोहर राशि (भूखण्ड के क्षेत्रफल अनुसार)				
8.	वर्षा जल संग्रहण शुल्क (भूखण्ड के क्षेत्रफल अनुसार)				
9.	अमानत राशि (केवल बहुमंजिला इमारतों हेतु)				
10.	अग्निशमन सुविधा हेतु देय शुल्क (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)				
11.	EWS/LIG हेतु अतिरिक्त शेल्टर फण्ड (नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 26.10.2015 अनुसार)				
12.	अतिरिक्त आवासीय इकाई शुल्क				
13.	अमानत राशि (पार्किंग) (राशि प्रति ई.सी.यू. पर)				
14.	मैकेनिकल पार्किंग (राशि प्रति कार पर)				
15.	बिना अनुमति निर्माण शास्त्रि (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)				
श्रमिक उपकर		मांग पत्र में उल्लेख अनुसार			
कुल योग					
		पंजीकृत वास्तुविद के हस्ताक्षर			

